

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2171] No. 2171] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

का.आ. 2471(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम,1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 21 मार्च, 2016 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1168(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 300.00 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 741.00 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की माप वाली भूमि को और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 300.00 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 741.00 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में 300.00 हेक्टेयर (लगभग) अथवा 741.00 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

4726 GI/2017 (1)

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आरईवी/03/2017, तारीख 28 फरवरी, 2017 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला- चतरा, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, पिपरवार क्षेत्र, जिला-चतरा, झारखण्ड या महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची-834001, झारखंड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची – 834008, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची अशोक विस्तार- II खंड जिला चतरा (झारखंड)

(रेखांक संख्यांक आरईवी/03/2017, तारीख 28 फरवरी, 2017)

ब्लॉक - क

सभी अधिकार:

ग्राम	थाना	थाना	जिला	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	टिप्पणी
	सं.			(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
सरैया	87/244	टंडवा	चतरा	14.82	6.00	भाग
चिरलौंगा	88/245	टंडवा	चतरा	185.25	75.00	भाग
काइलरा	89/246	टंडवा	चतरा	158.08	64.00	भाग
झुलुंडिआ	91/248	टंडवा	चतरा	19.76	08.00	भाग
लुकुइआ	92/249	टंडवा	चतरा	54.34	22.00	भाग
	कुल :			432.25	175.00	

ब्लॉक – ख

सभी अधिकार :

राना भाषानरः						
ग्राम	थाना सं.	थाना	जिला	क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	टिप्पणी
				(एकड़ में)	(हेक्टेयर में)	
झुलुंडिआ	91/248	टंडवा	चतरा	12.35	5.00	भाग
काइलरा	89/246	टंडवा	चतरा	296.40	120.00	भाग
	कुल :		308.75	125.00		

(कुल क्षेत्र : ब्लॉक -क +ब्लॉक -ख) = (432.25+308.75)= 741.00 एकड़ (लगभग) या

(175.00 + 125.00) = 300.00 हेक्टेयर (लगभग)

(1) ग्राम काइलरा में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या : 1(भाग), 2(भाग), 3(भाग), 4(भाग), 40(भाग), 44(भाग), 45(भाग), 46 से 50, 51(भाग), 52 से 64, 65(भाग), 66(भाग), 67(भाग), 68, 69(भाग), 83(भाग), 84(भाग), 85(भाग), 86(भाग), 87(भाग), 88 से 101, 102(भाग), 221(भाग), 222(भाग), 223,

- 224(भाग), 225, 226, 227(भाग), 230(भाग), 231(भाग), 237(भाग), 238 से 427, 428(भाग), 431(भाग), 432(भाग), 434(भाग), 464, 465 और 469.
- (2) ग्राम चिरलौंगा में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या : 60 से 63, 64(भाग), 67(भाग), 68(भाग), 69(भाग), 70(भाग), 179(भाग), 180 से 182, 183(भाग), 184(भाग), 185 से 190, 191(भाग), 192(भाग) और 195.
- (3) ग्राम लुकुइआ में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या : 1(भाग), 5(भाग), 13(भाग) और 114(भाग).
- (4) ग्राम झुलुंडिआ में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या : 1(भाग), 8(भाग), 9(भाग) और 53(भाग).
- (5) ग्राम सरैया में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या : 124(भाग).

सीमा – वर्णन:

ब्लॉक – क

- क-ख-ग रेखा, बिन्दु 'क' से आरम्भ होकर ग्राम चिरलौंगा के प्लॉट संख्या 192, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 183, 179 तथा 184 और ग्राम काइलारा के प्लॉट संख्या 02, 282, 317, 318, 319, 320, 322 तथा 431 रेलवे की तरफ के साथ और ग्राम झुलुंडिया प्लॉट संख्या 8 तथा 53 के साथ गुजरती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग-घ-क रेखा, ग्राम झुलुंडिया के प्लॉट संख्यांक 53, 8 और 1, ग्राम लुकुइआ के प्लॉट संख्यांक 114, 13, 5 तथा 1, ग्राम सरैया के प्लॉट संख्यांक 124, ग्राम चिरलौंगा के प्लाट संख्यांक 195, 191 तथा 192 से गुजरती हुई आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

ब्लॉक – ख

- ङ-च-छ रेखा बिन्दु 'ङ' से आरम्भ होकर ग्राम काइलारा के प्लॉट संख्यांक 40, 51, 44, 45, 69, 67, 66, 65, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 237, 231, 230, 227, 221, 222, 224, 225, 237, 428, 434, 411 तथा 431 से गुजरती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
- छ-ज-ङ रेखा ग्राम काइलारा के प्लॉट संख्यांक 431 और 432, ग्राम झुलुंडिया के प्लॉट संख्यांक 53 और 8 ग्राम काइलारा के प्लॉट संख्यांक 431, 322, 320, 323, 317, 282 तथा 40 और रेलवे की तरफ की सीमा रेखा से गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/32/2017-एलए एण्ड आईआर] विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2017

S.O. 2471(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1168(E), dated the 18th March, 2016, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st March, 2016, the Central Government gave notice of its intention to acquire the land measuring 300.00 hectares (approximately) or 741.00 acres (approximately), all rights in and over such land specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the land measuring 300.00 hectares (approximately) or 741.00 acres (approximately), all rights in and over described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over the land measuring 300.00 hectares (approximately) or 741.00 acres (approximately) described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/03/2017, dated the 28th February, 2017 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District - Chatra, Jharkhand or in the Office of Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700001 or in the Office of the General Manager, Piparwar, District - Chatra, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi – 834001, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi - 834008, Jharkhand.

SCHEDULE

Ashoka Expansion-II Block District- Chatra (Jharkhand)

(Plan bearing number REV/03/2017, dated the 28th February, 2017)

Block - A

All Rights:

Village	Thana	Thana number	District	Area (in acres)	Area (in hectares)	Remark
Saraiya	87/244	Tandwa	Chatra	14.82	6.00	Part
Chirlaunga	88/245	Tandwa	Chatra	185.25	75.00	Part
Koilara	89/246	Tandwa	Chatra	158.08	64.00	Part

Jhulunda	91/248	Tandwa	Chatra	19.76	08.00	Part
Lukaiya	92/249	Tandwa	Chatra	54.34	22.00	Part
	Tot	al:	432.25	175.00		

Block-B

All Rights:

Village	Thana	Thana	District	Area	Area	Remark
	number			(in acres)	(in hectares)	
Jhulunda	91/248	Tandwa	Chatra	12.35	05.00	Part
Koilara	89/246	Tandwa	Chatra	296.40	120.00	Part
	Tota	ıl:		308.75	125.00	

Total area (Block-A + Block-B) = (432.25 + 308.75) = 741.00 acres (approximately) or (175.00 + 125.00) = 300.00 hectares (approximately)

- (1) Plot numbers acquired in village Koilara 1(P), 2(P), 3(P), 4(P), 40(P), 44(P), 45(P), 46 to 50, 51(P), 52 to 64, 65(P), 66(P), 67(P), 68, 69(P), 83(P), 84(P), 85(P), 86(P), 87(P), 88 to 101, 102(P), 221(P), 222(P), 223, 224(P), 225, 226, 227(P), 230(P), 231(P), 237(P), 238 to 427, 428(P), 431(P), 432(P), 434(P), 464, 465 and 469.
- (2) Plot numbers acquired in village Chirlaunga 60 to 63, 64(P), 67(P), 68(P), 69(P), 70(P), 179(P), 180 to 182, 183(P), 184(P), 185 to 190, 191(P), 192(P) and 195(P).
- (3) Plot numbers acquired in village Lukaiya 1(P), 5(P), 13(P) and 114(P).
- (4) Plot numbers acquired in village Jhulunda 1(P), 8(P), 9(P) and 53(P).
- (5) Plot numbers acquired in village Saraiya 124(P).

Boundary Description:

Block-A

- A-B-C Line starts from 'A' passes through plot numbers 192, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 183, 179 and 184 in village Chirlaunga and plot numbers 02, 282, 317, 318, 319, 320, 322 and 431 along with boundary line of railway siding in village Koilara and plot number 8 and 53 in village Jhulunda and meets at point 'C'.
- C-D-A Line passes through plot numbers 53, 8 and 1 in village Jhulunda and plot numbers 114, 13, 5 and 1 in village Lukaiya and plot number 124 in village Saraiya and plot numbers 195, 191 and 192 in village Chirlaunga and meets at starting point 'A'.

Block-B

E-F-G - Line starts from 'E' passes through plot numbers 40, 51, 44, 45, 69, 67, 66, 65, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 237, 231, 230, 227, 221, 222, 224, 225, 237, 428, 434, 411 and 431 in village Koilara and meets at point 'G'.

G-H-E

- Line passes through plot numbers 431 and 432 in village Koilara and plot numbers 53 and 8 in village Jhulunda and plot numbers 431, 322, 320, 323, 317, 282 and 40 along with boundary line of railway siding in village Koilara and meets at starting point 'E'.

[F. No. 43015/32/2017-LA&IR] VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.